पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम 2001

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का.आ.271 (अ) – पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम, 2000 का एक प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं.1166 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारिक 27 दिसम्बर 2000 में ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियों जनता केा उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियों जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा 1 और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम 2001** है।

   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. **परिभाषाएं :–** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) 'अधिनियम' से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

   (ख) 'पशु कल्याण संगठन' से पशुओं के कल्याण के लिए ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है;

   (ग) बोर्ड से अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

   (घ) 'स्थानीय प्राधिकरण' से किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर पशुओं से संबंधित किसी मामले के नियंत्रण और प्रशासन के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका समिति, राज्य पशु कल्याण बोर्ड, जिला बोर्ड या कोई स्थानीय पशु कल्याण संगठन अभिप्रेत है;

   (ड.) 'सोसाइटी' से किसी जिले में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या किसी राज्य में लागू किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए स्थापित सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस पी सी ए कहा गया है) अभिप्रेत है और इसमें किसी जिले में कृत्य कर रही विद्यमान एस पी सी ए सम्मिलित है;

   (च) 'पशु चिकित्सक' से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

3. **किसी जिले में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी :–** (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र

और प्रत्येक दशा में इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सोसाइटी स्थापित करेगी, जो उस जिले में एस पी सी ए होगी; परंतु यह कि किसी जिले में इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पशुओं प्रति क्रूरता के निवारण के लिए कृत्य कर रही कोई सोसाइटी, उस जिले में इन नियमों के अधीन एस पी सी ए की स्थापना तक, अपने कृत्यों का निर्वहन करती रहेगी।

(2) सोसाइटी की प्रबंध समिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की जाएगी, जिसमें एक अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बोर्ड की सहमति से की जाएगी, और अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जिसे राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण निम्न शर्तो के अधीन रहते हुए आवश्यक समझे।

(i) कम से कम दो सदस्य ऐसे होंगे जो पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि हों और जो अधिमानतः उसी जिले के हों और पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के और पशु कल्याण के कार्यो में सक्रिय रूप से लगे हों, और

(ii) कम से कम दो सदस्य, सोसाइटी के सदस्यों के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित सदस्य होंगे।

(3) सोसाइटी का कर्तव्य इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन में सरकार, बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरण की सहायता करना होगा और उसे ऐसी उपविविधियां और मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की शक्तियां होगी, जो उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(4) सोसाइटी या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि सोसाइटी या उस व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के लिए युक्ति युक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, तो सोसाइटी या ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से, उसके कब्जे, नियंत्रण, अभिरक्षा या उसके स्वामित्व में के किसी पशु को या ऐसे व्यक्ति को मंजूर की गई या अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञापत्र अथवा किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और तलाशी या जांच करने के लिए किसी यान को रोक सकेगा या किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे पशु का, जिसकी बाबत सोसाइटी या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हैं कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगा और उसके साथ विधि के अनुसार व्यवहार कर सकेगा।

(5) इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार बोर्ड के परामर्श से किसी सोसाइटी को इन नियमों के अधीन शक्तियों के प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्य शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी।

4. रूग्णावास और पशु आश्रयों की स्थापना :– (1) प्रत्येक राज्य सरकार सोसाइटी को रूग्णावास और पशु आश्रयों के सन्निर्माण के प्रयोजन के लए पर्याप्त भूमि और अन्य प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) प्रत्येक रूग्णावास और पशु आश्रय में निम्नलिखित होगा।

(i) एक पूर्ण कालिक पशु चिकित्सक और ऐसे रूग्णावास और पशु आश्रय को प्रभावी रूप से चलाने और उसके अनुरक्षण के लिए अन्य कर्मचारिवृंद; और

(ii) एक प्रशासक, जिसे सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सोसाइटी, उसके प्रशासक के माध्यम से या अन्य रूप से, इसके नियंत्रण और अधिकारिता के अधीन आने वाले रूग्णावासों और पशु आश्रयों के संपूर्ण कार्यो की पर्यवेक्षा करेगी।

(4) स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा चलाए जा रहे सभी कांजी हाउसों और पिंजरापोलों का पबंधन ऐसे प्राधिकरण द्वारा सोसाइटी या पशु कल्याण संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।

5. **एस.पी.सी.ए. का विनियमन :–** (1) प्रत्येक सोसाइटी अपनी वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी, जिसमें ऐसे वार्षिक लेखों के साथ, जिन्हें किसी चार्टर्ड अकाउटेंड या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय ने, ऐसे लेखों के सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर सम्यक रूप से लेखा परीक्षित किया है, इसके द्वारा पशुओं के कल्याण के लिए किए गए क्रियाकलापों और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम और किए गए उपाय सम्मिलित होंगे।

(2) बोर्ड, सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत ऐसी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों की परीक्षा करेगा और इसके कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए निदेश भी दे सकेगा, जिनमें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के विचार से सोसाइटी की प्रबंध समिति का अधिक्रमण भी है। परंतु बोर्ड सोसाइटी को अधिक्रांत करने ओर सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नई प्रबंध समिति को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन कराने के निदेश देने` पूर्व सोसाइटी के पदधारियों या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा।

(3) बोर्ड किसी भी सोसाइटी को उसके सुचारू और दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए कोई निदेश दे सकेगा, जिसमें सोसाइटी की प्रबंध समिति के निर्वाचन कराने की प्रक्रिया अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग और आस्तियां का प्रबंधन भी सम्मिलित हैं।

(फा.सं.19/1/2000–ए डब्ल्यू डी)
धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव